

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था02/02-06/2017 29 पटना, दिनांक... 30.11.17

प्रेषक,

पुनम (भा०प्र०से)
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर (भभुआ), गया,
जहानाबाद, अरवल, नवादा औरंगाबाद, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई,
भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा,
मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी० चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, वैशाली,
सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:- केन्द्रीय योजनागत योजना "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना" शीर्ष के
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष वर्ष 2017-18 में स्वीकृत्यादेश संख्या-2613 दिनांक 27.11.2017 के
आलोक में ₹2,17,10,555/- (दो करोड़ सतरह लाख दस हजार पाँच सौ पचपन) रुपये
मात्र का आवंटन।

महाशय,

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के लघु सिंचाई
(सांख्यिकी) प्रभाग के पत्रांक-V-57/5/2014.MI(Stat) दिनांक-25.02.2015 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना
लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना हेतु ₹5,02,50,915/- (पाँच करोड़ दो लाख पचास हजार
नौ सौ पन्द्रह) रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है एवं उक्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष
2017-18 हेतु उपलब्ध/विमुक्त राशि ₹2,17,10,555/- (दो करोड़ सतरह लाख दस हजार पाँच सौ
पचपन) रुपये व्यय की अनुमति पत्रांक-V-57/5/2014.MI(Stat)519 दिनांक-17.07.2017 द्वारा प्रदान की
गई है।

2. कंडिका-01 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध/विमुक्त की गई राशि
₹2,17,10,555/- (दो करोड़ सतरह लाख दस हजार पाँच सौ पचपन) रुपये संलग्न विवरणी के अनुसार
व्यय करने के लिए आवंटित की जाती है।

5. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु
शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष- 0405-लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना
शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050405 है।

6. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः
सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना तथा संबंधित सभी
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

7. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर संबंधित आवंटन आदेश
की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करेंगे। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना
होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के
लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।


8. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।


9. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

10. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।


11. स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश संख्या-2613 दिनांक 27.11.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष- 2017-18 में आवंटित राशि का नियमानुसार पंचम लघु सिंचाई गणना 2013 से संबंधित कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।


बजट सहायक


प्रशाखा पदा०


सहायक निदेशक


विश्वासभाजन


निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय


ज्ञापांक29...../पटना, दिनांक30.11.17.....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक


ज्ञापांक29...../पटना, दिनांक30.11.17.....

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना
2. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक29...../पटना, दिनांक30.11.17.....

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)
2. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितों को ई-मेल से प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक

विवरणी I

केन्द्र प्रायोजित योजना मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी समूह शीर्ष केंद्रीय योजनान्तर्गत-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 205-राज्य सांख्यिकी, 0405-लघु सिंचाई का युक्तियुक्तकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी।


क्र.सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	निदेशालय हेतु कार्यालय व्यय @4.7665/- प्रति ग्राम जिला हेतु कार्यालय व्यय @ 111/- प्रति ग्राम	निदेशालय स्तर पर मार्गदशिका एवं अनुसूचियों के मुद्रण पर व्यय @10/-	प्रशिक्षण पर व्यय / 100/-	सतही जल अनुसूची के कम्प्यूटरीकरण हेतु आवंटित राशि@5/- प्रति ग्राम	भू-जल अनुसूची के कम्प्यूटरीकरण हेतु आवंटित राशि@5/- प्रति ग्राम	ग्राम अनुसूची के कम्प्यूटरीकरण हेतु आवंटित राशि@5/- प्रति ग्राम	ग्राम अनुसूची हेतु मानदेय 200/- प्रति ग्राम	प्रगणकों को 50 योजना के लिए 300रू, 51-100योजना के लिए 400 रू, 101-300 के लिए 500रू, 300 सेअधिक योजना के लिए 600रू रूपया प्रति ग्राम मानदेय	कॉलम 3 से 10 तक का योग
		13.01 कार्यालय व्यय		20.03 प्रशिक्षण व्यय	28.02 संविदा सेवाएँ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।	216103	453380	131900	19500	1944500	136000	-	-	2901383
जिला सांख्यिकी कार्यालय										
2	पटना	162615	-	18300	-	-	-	4160	209900	394975
3	नालंदा	120213	-	13500	-	-	-	0	153200	286913
4	भोजपुर	138639	-	15600	-	-	-	249800	192000	596039
5	बक्सर	124431	-	14000	-	-	-	224200	158700	521331
6	रोहतास	233433	-	26300	-	-	-	4800	300400	564933
7	कैमूर	188367	-	21200	-	-	-	339400	239700	788667
8	गया	318459	-	35900	-	-	-	573800	405035	1333194
9	जहानाबाद	64824	-	7300	-	-	-	116800	82800	271724
10	अरवल	35076	-	4000	-	-	-	0	43100	82176
11	नवादा	119436	-	13500	-	-	-	215200	153900	502036
12	औरंगाबाद	209124	-	23600	-	-	-	0	266100	498824
13	मुंगेर	98235	-	11100	-	-	-	177000	125200	411535
14	बेगूसराय	127206	-	14300	-	-	-	229200	162100	532806
15	खगड़िया	33966	-	3800	-	-	-	61200	43600	142566
16	लखीसराय	52836	-	6000	-	-	-	95200	68400	222436
17	शेखपुरा	34299	-	3900	-	-	-	200	44200	82599
18	जमुई	169386	-	19100	-	-	-	305200	215700	709386

1	2	13.01 कार्यालय व्यय		20.03	28.02					
		3	4	प्रशिक्षण व्यय	संविदा सेवाएँ					
				5	6	7	8	9	10	11
19	भागलपुर	168720	-	19000	-	-	-	304000	214800	706520
20	बांका	234320	-	26400	-	-	-	422200	298100	981020
21	पूर्णिया	141192	-	15900	-	-	-	0	179800	336892
22	अररिया	83472	-	9400	-	-	-	2000	107900	202772
23	किशनगंज	87357	-	9800	-	-	-	3200	113700	214057
24	कटिहार	171828	-	19400	-	-	-	309600	218700	719528
25	सहरसा	52503	-	5900	-	-	-	1840	68400	128643
26	सुपौल	61716	-	7000	-	-	-	1320	79800	149836
27	मधेपुरा	49173	-	5500	-	-	-	0	62000	116673
28	दरभंगा	146964	-	16600	-	-	-	264800	187100	615464
29	मधुबनी	123876	-	14000	-	-	-	223200	157800	518876
30	समस्तीपुर	139860	-	15800	-	-	-	252000	179800	587460
31	मुजफ्फरपुर	200466	-	22600	-	-	-	361200	257800	842066
32	सीतामंढी	94017	-	10600	-	-	-	169400	119900	393917
33	शिवहर	22533	-	2500	-	-	-	0	29100	54133
34	पूर्वी चम्पारण	143856	-	16200	-	-	-	259200	183200	602456
35	प. चम्पारण	167055	-	18800	-	-	-	301000	212700	699555
38	वैशाली	173493	-	19500	-	-	-	312600	220800	726393
36	सारण	195915	-	22100	-	-	-	353000	260700	831715
37	सीवान	169830	-	19100	-	-	-	306000	216200	711130
39	गोपालगंज	173826	-	19600	-	-	-	313200	221300	727926
	कुल	5248620	453380	699000	19500	1944500	136000	6755920	6453635	21710555

(कुल दो करोड़ सतरह लाख दस हजार पाँच सौ पचपन) रुपये


बजट सहायक


प्रशाखा पदा०


सहायक निदेशक


निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय